

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर**  
पीठासीन अधिकारी -श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

**राजस्व आवेदन :- 320/2023 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act**

उनवान :-

प्रार्थीगण :- 1. उदाराम पुत्र वीझाराम फौत के कायम मुकाम  
1(1) हुकमा पुत्र उदा  
1(2) कंवरा पुत्र उदा  
1(3) दमी देवी पत्नी उदा  
जाति जाट, निवासी नसीर की ढाणी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।  
बनाम

विप्रार्थी :- 01. तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :- श्री ज्येष्ठ कुमार

**निर्णय**

दिनांक

प्रार्थीगण उदाराम पुत्र वीझाराम जाति जाट, निवासी नसीर की ढाणी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम नसीर की ढाणी पटवार हल्का बीसासर के खेत खसरा संख्या 277 रकबा 4.3382 हैक्टर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी की रहवासीय ढाणी आयी हुई है। प्रार्थी को उक्त खेत व रहवासीय ढाणी में आने-जाने के लिए रास्ते की अन्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत व रहवासीय ढाणी में आने-जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी के खातेदारी खेत ग्राम नसीर की ढाणी के खसरा संख्या 563/278 रकबा 14.7791 हैक्टर बा0सो0 में से 20 फीट चौड़े निकटतम रास्ते की आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने-जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्तों के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने व रहवासीय ढाणी में आने-जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का रास्ता नहीं है। अभी राज्य सरकार की भूमि पर कुछ अतिक्रमियों द्वारा उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु इस्तदुआ चाही है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण से प्राप्त तामिल शुदा प्राप्त होने के बावजूद उनकी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ,

1



  
सहायक कलक्टर  
(SDO) सेड़वा

सलिए एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया। जिस पर न्यायालय द्वारा क्रमांक रीडर/2024/2256 दिनांक 29.07.2024 द्वारा तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्रांक भू.अ./2024/3133 दिनांक 16.10.2024 द्वारा प्रकरण में न्यायालय को मौका रिपोर्ट मय खसरा नक्शा एवं जमाबंदी प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्रांक भू.अ./2024/3133 दिनांक 16.10.2024 द्वारा प्राप्त मौका जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है— ग्राम नसीर की ढाणी के खसरा संख्या 277 रकबा 4.3382 हैक्टेयर के खातेदार स्व० श्री उदाराम पुत्र वींझाराम कौम जाट निवासी दीपला द्वारा अपने खेत तक आने जाने के लिए सरकारी खसरा संख्या 563/278 रकबा 14.7791 हैक्टेयर किस्म बा०सो० में से कटान रास्ते की मांग की है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध नहीं है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आवागमन योग्य है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत(डील)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजस्थान सरकार (खाता संख्या 1)	563/278	14.7791 है.	20	0.0607 है. (बरंग लाल से दर्शित)	नसीर की ढाणी	6110/- असिंचित सड़क पर व 12201 सिंचित सड़क पर	बा.सो

मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम नसीर की ढाणी की वर्तमान डीएलसी दर असिंचित सड़क पर 16269 प्रति बीघा व 32537 सिंचित सड़क पर प्रति बीघा है तथा प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई निकटतम रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते पर कोई कीमती पेड़, मकान आदि नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत



राजस्व आवेदन संख्या 320/2023  
 उनवान उदा के कायम मुकाम बनाम तहसीलदार सेड़वा  
 द्वारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी द्वारा वांछित  
 रास्ते का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत(प्रति बीघा)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजस्थान सरकार (खाता संख्या 1)	563/278	14.7791 है.	20	0.0607 है.	नसीर की ढाणी	6110/- असिचित सड़क पर 12201/-सिचित सड़क पर	वा.सो

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)-(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 26.09.2024 मय फर्द एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुणा राजकोष में अदा करेंगे। मौका रिपोर्ट दिनांक 26.09.2024 मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थी को उक्त खसरा में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :-


1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थी) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।



राजस्थान सरकार  
 (SDO) सेड़वा

3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तों में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरो में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते हेतु आज दिनांक 15.04.2025 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द दिनांक 26.09.2024 मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।



15.04.2025  
(बद्रीनाथप्रियण विश्नोई, आर.ए.एस.)  
सहायक उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा  
उपखण्ड (SDO) सेड़वा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2024/3133

दिनांक:- 16.10.2024


प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेडवा

विशय:- राजस्व आवेदन सं 320/2023 अनवान उदाराम बनाम तहसीलदार सेडवा अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 320/2023 अनवान उदाराम बनाम तहसीलदार सेडवा अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम नसीर की ढाणी के खसरा 277 में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 563/278 में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू-अभिलेख निरिक्षक सारला द्वारा दिनांक 26.09.2024 को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

  
तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा  
तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा



उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	हुकूमराम	शुभ उदासाम	जाट		हुकूमराम

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
NIL					

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
1	केसराम	शुभ उदासाम	64	जाट	केसराम
2	मंगलराम	शुभ उदासाम	25	मेवाड़	मंगलराम

Ex-Court

सहायक कलेक्टर  
(SDO) सेडवा

प्रार्थी द्वारा मांगे जात्रा प्रत्यावित नात्रा वजकीय अदि हे ।

इस प्रकार आज दिनांक 26.9.24 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर   
पटवारी 26/09/24  
पं. सं. प०-जीसायल

हस्ताक्षर 26/9/24  
शु. अ. निरीक्षक  
वृत्त...सी(व)...

C.S.  
  
रहसिलदार (शु.अ.) सेडवा

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नवशा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 17/08/2023 10:49:39 AM


जिला : बाड़मेर

तहसील : सेडवा

भू. अ. नि. क्षेत्र : सारला

हल्का : घोसासर

ग्राम : नसीर की ढाणी



सकल

सकल हेतु प्रमाणित

Ex-Court

Ex-Court

C.S.

तहसीलदार (भू.अ) सेडवा सहायक कलक्टर

Scale 1:2000

खसरा संख्या : 563/278 क्षेत्रफल : 14.7791 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 5591 सेडवा

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बा.सोयम [ 14.7791 ] राज. सरकार

सहायक कलक्टर  
26/9/24  
1 LR साठ

26/9/24

26/9/24  
पं. बी.का.स.ल.

26/09/2024

- नोट :-
- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
  - इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  - प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

राजस्थान सरकार

दिनांक : 26/09/2024 01:40:12 PM


खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

भू. अ. नि. क्षेत्र : सारला

तहसील : सेडवा

ग्राम : नसीर की ढाणी

जिला : बाड़मेर  
पटवारी हल्का : बीसासर



Ex-Court

Ex-Court

C.S.  
रहसीलदार (भू.अ) सेडवा

सहायक कमिश्नर  
भू.अ. नि. क्षेत्र

Scale 1:1000

खसरा संख्या : 277 क्षेत्रफल : 4.3382 Hectare खाता संख्या : 15 पुराना खाता संख्या : 13

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बा.दोयम [ 4.3382, 1.34 ]

1.) उदाराम पुत्र वीझाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. दीपला खातेदार

हनुमतराम

26/9/2024  
पं. ज. का. व. ल.

मंगलाराम

कसोराम

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील  
26/9/24  
ULR 41/007

26/09/2024

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
  2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null